

## प्रेस नोट थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर दिनांक 01.09.2024

### **धोखाधड़ी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 217//2024 धारा 316(2), 318(2), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0 से संबंधित अभियुक्त हैदर अली पुत्र शेखावत अली निवासी ग्राम सोहवरिया कला थाना पुरन्दरपुर जिला महाराजगंज के कब्जे से धोखाधड़ी के 1,220 रूपये बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण** – दिनांक 01-08-2024 को वादी मुकदमा अपने बैंक के खाते से पैसा निकालकर आ रहे थे कि बाहर 01 व्यक्ति द्वारा वादी मुकदमा को अपने बातों में भ्रमित करते हुए धोखे से 20 हजार रूपया लेकर बदले में कूटरचित चेक दे दिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था तथा प्रकाश में आये अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 1,220 रूपया बरामद किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

हैदर अली पुत्र शेखावत अली निवासी ग्राम सोहवरिया कला थाना पुरन्दरपुर जिला महाराजगंज

### **गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण –**

मु0अ0सं0 217//2024 धारा 316(2), 318(2), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली ,गोरखपुर।  
दिनांक घटना 01.08.2024

### **गिरफ्तारी की टीम-**

- 1-30नि0 आशीष कुमार दूबे थाना कोतवाली गोरखपुर
- 2-30नि0 राहुल कुमार यादव थाना कोतवाली गोरखपुर
- 3-का0 सोनू कुमार गौड थाना कतोवाली गोरखपुर